

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 622]

भोपाल, मंगलवार, दिनांक 23 दिसम्बर 2014—पौष 2, शक 1936

लोक सेवा प्रबंधन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 23 दिसम्बर 2014

क्र. एफ 2-13-2012-इकसठ-लोसेप्र-पी.एस.जी.-22.—मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 (क्रमांक 24 सन् 2010) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अंतर्गत खाद्य एवं औषधि प्रशासन द्वारा उपलब्ध करवाई जाने वाली सेवाएं, पदाभिहित अधिकारी का पदनाम, सेवाएं प्रदान करने के लिए निश्चित की गई समय-सीमा, प्रथम अपील अधिकारी द्वारा निराकरण के लिए निश्चित की गई समय-सीमा तथा द्वितीय अपील प्राधिकारी का पदनाम निम्नानुसार अधिसूचित करती है, अर्थात् :—

मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 की धारा 3 के तहत लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अंतर्गत खाद्य एवं औषधि प्रशासन की सेवाएं

सेवा क्र.	सेवाएं	पदाभिहित अधिकारी का नाम	सेवा प्रदान करने की निश्चित समय-सीमा	प्रथम अपील अधिकारी का पदनाम	प्रथम अपील के निराकरण की निश्चित क्री गई समय-सीमा	द्वितीय अपील प्राधिकारी का पदनाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
22.1	औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 की धारा 18(सी) एवं नियमावली 1945 के नियम 68ए के अंतर्गत औषधि महानियंत्रक (भारत सरकार) से प्रति-हस्ताक्षरित होकर प्राप्त होने की स्थिति में औषधि एवं प्रसाधन सामग्री नियमावली, 1945 के नियम 69(1) एवं 90(1) के अंतर्गत अनुज्ञप्तियां जारी करना.	अनुज्ञापन प्राधिकारी कार्यालय, नियंत्रक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन, मध्यप्रदेश.	03 कार्य दिवस	नियंत्रक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन, मध्यप्रदेश.	03 कार्य दिवस	सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, भोपाल.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
22.2	केंद्रीय अनुज्ञापन अनुमोदन प्रणाली के अलावा औषधि एवं प्रसाधन सामग्री नियमावली, 1945 के नियम 69(1) एवं 90(1) के तहत अनुज्ञप्तियां जारी करना.	अनुज्ञापन प्राधिकारी कार्यालय, नियंत्रक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन, मध्यप्रदेश.	45 कार्य दिवस	नियंत्रक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन, मध्यप्रदेश.	15 कार्य दिवस	सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, भोपाल.
22.3	औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 की धारा 18(सी) एवं नियमावली 1945 के नियम 68ए के अंतर्गत औषधि महानियंत्रक (भारत सरकार) से अनुमोदित एवं प्रति-हस्ताक्षरित होकर प्राप्त होने की स्थिति में औषधि एवं प्रसाधन सामग्री नियमावली, 1945 के नियम 69(1) एवं 90(1) के अंतर्गत अधिकतम 10 उत्पादों के लिए अनुमति जारी करना.	अनुज्ञापन प्राधिकारी कार्यालय, नियंत्रक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन, मध्यप्रदेश.	03 कार्य दिवस	नियंत्रक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन, मध्यप्रदेश.	03 कार्य दिवस	सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, भोपाल.
22.4	औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 की धारा 18(सी) एवं नियमावली 1945 के नियम 68ए के अंतर्गत औषधि महानियंत्रक (भारत सरकार) से अनुमोदित एवं प्रति-हस्ताक्षरित होकर प्राप्त होने की स्थिति में औषधि एवं प्रसाधन सामग्री नियमावली, 1945 के नियम 69(1) एवं 90(1) के अंतर्गत 10 से अधिक उत्पादों के लिए अनुमति जारी करना.	अनुज्ञापन प्राधिकारी कार्यालय, नियंत्रक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन, मध्यप्रदेश.	15 कार्य दिवस	नियंत्रक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन, मध्यप्रदेश.	15 कार्य दिवस	सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, भोपाल.
22.5	औषधि एवं प्रसाधन सामग्री नियमावली, 1945 के नियम 69(1) एवं 90(1) के अंतर्गत औषधि निर्माण लायसेंसों में अधिकतम 10 औषधियों की अनुमति जारी करना.	अनुज्ञापन प्राधिकारी कार्यालय, नियंत्रक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन, मध्यप्रदेश.	05 कार्य दिवस	नियंत्रक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन, मध्यप्रदेश.	05 कार्य दिवस	सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, भोपाल.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
22.6	औषधि एवं प्रसाधन सामग्री नियमावली, 1945 के नियम 69(1) एवं 90(1) के अंतर्गत औषधि निर्माण लायसेंसों में 10 से अधिक औषधियों की अनुमति जारी करना.	अनुज्ञापन प्राधिकारी कार्यालय, नियंत्रक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन, मध्यप्रदेश.	15 कार्य दिवस	नियंत्रक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन, मध्यप्रदेश.	15 कार्य दिवस	सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, भोपाल.
22.7	भारत सरकार से अनुमति/अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त होने की स्थिति में औषधि एवं प्रसाधन सामग्री नियमावली, 1945 के नियम 69(1) एवं 90(1) के अंतर्गत औषधि निर्माण लायसेंसों में अधिकतम 10 औषधियों की अनुमति जारी करना.	अनुज्ञापन प्राधिकारी कार्यालय, नियंत्रक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन, मध्यप्रदेश.	03 कार्य दिवस	नियंत्रक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन, मध्यप्रदेश.	03 कार्य दिवस	सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, भोपाल.
22.8	भारत सरकार से अनुमति/अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त होने की स्थिति में औषधि एवं प्रसाधन सामग्री नियमावली, 1945 के नियम 69(1) एवं 90(1) के अंतर्गत औषधि निर्माण लायसेंसों में 10 से अधिक औषधियों की अनुमति जारी करना.	अनुज्ञापन प्राधिकारी कार्यालय, नियंत्रक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन, मध्यप्रदेश.	15 कार्य दिवस	नियंत्रक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन, मध्यप्रदेश.	15 कार्य दिवस	सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, भोपाल.
22.9	औषधि एवं प्रसाधन सामग्री नियमावली, 1945 के नियम 59 का उपनियम (1) के अंतर्गत संबंधित जिले के अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा औषधि विक्रय अनुज्ञप्ति जारी करना.	संबंधित जिले के अनुज्ञापन प्राधिकारी कार्यालय, उपसंचालक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन, मध्यप्रदेश (संबंधित जिले के).	30 कार्य दिवस	नियंत्रक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन, मध्यप्रदेश.	15 कार्य दिवस	सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, भोपाल.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
हरिरंजन राव, सचिव.